



भारत में जाति की राजनीति का महत्व

श्री पूरणमल मीना

सह आचार्य

राजनीति विज्ञान

राजकीय महाविद्यालय राजगढ़अलवर

जाति व्यवस्था भारत में सामाजिक और राजनीतिक संरचना का एक प्रमुख पहलू है। जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था की सबसे प्राचीन विशेषता है और यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं और कार्यों में एक प्रमुख कारक है। श्कास्ट्श शब्द की उत्पत्ति स्पेनिश शब्द 'कास्ट' से हुई है जिसका अर्थ नस्ल होता है। जाति विशेष में पैदा हुए लोगों की अपनी अलग जाति होती है। यह व्यक्ति के लिए सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को परिभाषित करता है। जाति भारत में सामाजिक स्तरीकरण का एक उल्लेखनीय आधार है। भारतीय राजनीति जाति आधारित राजनीति है। जाति राजनीतिक दलों, हित समूहों और सभी राजनीतिक संरचनाओं और उनके कार्यों की प्रकृति, संगठन और कार्यप्रणाली को निर्धारित करती है। भारतीय समाज को जातियों, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर अत्यधिक खंडित किया गया है, यह अंततः संसदीय लोकतंत्र के सही कामकाज को रोकता है। इस पत्र का मूल उद्देश्य भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण करना है और यह कैसे एक प्रमुख कारण बन जाता है गंभीर चिंता और राष्ट्रीय एकता के लिए एक बाधा बन जाते हैं। यह पेपर इन चुनौतियों से निपटने के सुझाव के साथ समाप्त होता है।

कीवर्ड: जाति, सामाजिक स्तरीकरण

परिचय

भारतीय समाज में जाति एक सामाजिक समूह को संदर्भित करती है जिसमें संबद्धता काफी हद तक जन्म से निर्धारित होती है। यह जाति व्यवस्था हिंदू धर्म के उदय के साथ स्थिर और वंशानुगत हो गई। मनु (मनुस्मित्री) के नियम उच्च जातियों के प्रभुत्व और कुल दंडमुक्ति



की पुष्टि करते हुए बहिष्कृतों की अशुद्धता और दासता का उल्लेख करते हैं।

सबसे निचली जाति के लोगों को सूचित किया जाता है कि जाति पदानुक्रम में उनका स्थान उनके पिछले जीवन में उनके पापों के कारण है। साक्षरता प्राप्त करने या एक प्रमुख जाति के सदस्य का अपमान करने जैसे अपराधों के लिए यातना और मौत की कड़ी सजा दी जाती है। मनुस्मित्री, हिंदू धर्म का सबसे विश्वसनीय पाठ सामाजिक बहिष्कार को वैध बनाता है और सामाजिक मामलों के मार्गदर्शक नियम के रूप में पूर्ण असमानता का परिचय देता है। आधुनिक दुनिया में भी जाति अभी भी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत मायने रखती है, हालांकि यह बताना होगा कि नागरिकों के विभिन्न समूहों के पास जाति व्यवस्था को बनाए रखने के अलग-अलग कारण हैं। उच्च जातियाँ निचली जातियों का दमन करने के लिए जाति को जीवित रखना चाहती हैं जिससे उनका वर्चस्व बना रहे। अक्सर यह देखने में आता है कि निम्न जाति समूह, जिन्हें जाति व्यवस्था से घृणा करने वाला माना जाता है, सत्ता और राजनीति के गलियारों में लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी जातिगत पहचान का भी उपयोग करते हैं और साथ ही, वे इस पर रोक लगाना चाहते हैं। उच्च जातियों द्वारा उन पर थोपा गया जातिगत उत्पीड़न। यह आधुनिक भारत में भारतीय समाज की एक विडंबनापूर्ण और दिलचस्प स्थिति है।

वास्तव में, यह दिखाने का इरादा था कि चार वर्ग सामाजिक संगठन के संबंध में उसी तरह के संबंध में थे, जैसे आदि मानव के विभिन्न अंग उसके शरीर के साथ थे। साथ में उन्हें राजनीतिक शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए कार्य करना था लेकिन जाति व्यवस्था जाति के नाम पर एक व्यक्ति के विकास को धीमा करने के स्तर तक बढ़ गई है और इस तरह एक व्यक्ति के रहने या बढ़ने के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है, जो कि है लोकतंत्र का सार। भारतीय राजनीति काफी हद तक सांस्कृतिक किस्मों, सामाजिक, जातीय, जाति, समुदाय और धार्मिक बहुलवाद से आकार लेती है, पार्टी नेतृत्व की विपरीत शैली और अद्वितीय विपरीत वैचारिक दृष्टिकोण के साथ देशव्यापी आंदोलन की ज्ञात परंपरा है। राजनीति के अधिकांश विद्वानों के लिए मायरोन वेनर भारत तथाकथित प्सीसरी दुनिया के सभी नए देशों में शायद सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लंबे और समग्र अतीत, इसकी विशाल आबादी और इसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, ऐसे देश के विशेष मूल्य की पहचान किसी अन्य देश के साथ अन्याय किए बिना ही की जा सकती है। प्रत्येक विकासशील राजनीतिक व्यवस्था में दो प्रकार की राजनीति की ओर इशारा किया जा सकता है,



विचारधारा की राजनीति और कार्रवाई की राजनीति। दोनों के बीच पारस्परिक कार्रवाई का विश्लेषण ऐसी व्यवस्था में होने वाले राजनीतिक परिवर्तन के सार और दिशा के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने ला सकता है। वैदिक काल के दौरान, वर्ण की व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण की नींव बन गई और इस व्यवस्था के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे चार वर्ण थे, जहाँ प्रत्येक को एक विशिष्ट भूमिका सौंपी गई थी। हालाँकि, समय की प्रगति के साथ, जाति व्यवस्था बंदोबस्ती की स्थिति में आ गई, जो जन्म से हल हो गई और परिणामस्वरूप, यह आज हमारे भारतीय समाज में एक विभाजनकारी कारक बन गई है।

अध्ययन का उद्देश्य:

1. भारतीय राजनीति पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण करना।
2. जातिविहीन समाज के लिए संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करना।

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका:

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर विशेष रूप से नीचे चर्चा की जा सकती है:

राजनीतिक समाजीकरण और नेतृत्व भर्ती में जाति कारक:

विभिन्न जाति समूह राजनीतिक दलों और उनकी विचारधाराओं के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। अपने जन्म से ही एक भारतीय नागरिक को एक जाति विरासत में मिलती है और वह एक विशेष जाति समूह के सदस्य के रूप में बड़ा होता है। वह या तो उच्च जातियों में से एक है या अनुसूचित जाति का है। अपने राजनीतिक झुकाव, दृष्टिकोण और विश्वास को चुनने की प्रक्रिया में, वह स्वाभाविक रूप से जाति समूहों और जातिवाद के प्रभाव में आ जाता है। जातिगत मूल्य और जातिगत हित उनके समाजीकरण और फलस्वरूप उनकी राजनीतिक सोच, विवेक और भागीदारी को प्रभावित करते हैं। वह नेतृत्व की भर्ती की भूमिका निभाने और निभाने के लिए जातिगत एकजुटता पर दांव लगाता है। जाति प्रभाव नेतृत्व भर्ती प्रक्रिया। यह हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के जाति के प्रति जागरूक लोगों के लिए विशेष रूप से सच है। आंध्र प्रदेश में रेड्डी, कर्म और वालमास, राज्य के नेता प्रदान करते हैं।



जाति आधारित राजनीतिक दल:

जाति कारक भारतीय पार्टी प्रणाली का एक घटक है। भारत में, बहुत से जाति-आधारित राजनीतिक दल हैं जो किसी विशेष जाति के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल, विशेष रूप से, मुख्य रूप से जाति कारक से प्रभावित हैं। कडज़ और पकडज़ तमिलनाडु के गैर-ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण राजनीतिक दल हैं। पंजाब में अकाली दल की सामुदायिक पहचान है। यह जाट बनाम गैर जाट के मुद्दे से प्रभावित है। भारत में सभी राजनीतिक दल चुनाव में वोट हासिल करने के लिए जाति का उपयोग एक साधन के रूप में करते हैं। बसपा अनुसूचित जाति के समर्थन पर निर्भर है जबकि भाजपा बड़े पैमाने पर जाति हिंदू और व्यापारिक समुदाय के बीच अपनी लोकप्रियता पर निर्भर है।

जाति आधारित दबाव समूह:

भारत में बहुत सारे जाति आधारित दबाव समूह हैं जो विशेष जाति के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं और इस उद्देश्य के लिए वे सरकारों पर दबाव डालते रहते हैं जैसे अनुसूचित जाति संघ, आर्य समाज सभा, सनातन धर्म सभा आदि जैसे दबाव समूह हैं। दबाव समूह जो किसी समुदाय विशेष के हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं।

उम्मीदवारों की जाति और नामांकन:

जाति कारक भारत में चुनावी राजनीति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से अपने उम्मीदवारों का नामांकन करते समय राजनीतिक दल उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की जाति और मतदाताओं की जाति को ध्यान में रखते हैं। इससे प्रत्याशी को अपनी जाति के वोटों का वोट मिलना तय है। मुस्लिम बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवारों को तैनात किया जाता है और जाट बहुल क्षेत्रों में जाट उम्मीदवारों को तैनात किया जाता है। यहां तक कि कांग्रेस, जनता दल, सीपीआई और सीपीएम जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय जातिगत तथ्य को ध्यान में रखती हैं।

जाति और मतदान व्यवहार:



चुनाव प्रचार में जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। प्रतिबद्ध समर्थन के लिए जाति समूहों का दोहन किया जाता है एनडी पामर ने ठीक ही देखा है कि उम्मीदवारों के चयन में और चुनाव अभियानों के दौरान मतदाताओं से अपील में जाति के विचारों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। चुनावों में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। उम्मीदवारों ने जाति के नाम पर वोट मांगा और वे जाति आधारित नारा लगाते हैं जैसे ष्जाट की बेटी जाट को, जाट का वोट जाट कोष। इस तरह के नारों का मतदाताओं पर प्रभाव पड़ता है और वे अपनी जाति के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं।

भारतीय राजनीति में विभाजनकारी और एकजुट शक्ति के रूप में जाति:

जाति भारतीय राजनीति में एक विभाजनकारी और एकजुट शक्ति के रूप में कार्य करती है यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कई हित समूहों के उद्भव के लिए एक आधार प्रदान करती है जिनमें से प्रत्येक सत्ता के लिए संघर्ष में अन्य सभी समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। कई बार यह सत्ता के लिए अस्वास्थ्यकर संघर्ष की ओर ले जाता है और विभाजनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है, हालांकि, यह समूहों के सदस्यों के बीच एकता का एक स्रोत है और एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है। ग्रामीण भारत में, जहां ग्रामीण शक्ति का सामाजिक ब्रह्मांड 15 से 20 किमी के क्षेत्र तक सीमित है, जाति एकीकृत शक्तियों के रूप में कार्य करती है। यह एकमात्र सामाजिक समूह है जिसे वे समझते हैं। जाति समूहों का अस्तित्व भी गुटबाजी की ओर ले जाता है। भारतीय राजनीति में जाति एक कारक है और यह एकजुट होने के साथ-साथ विभाजनकारी कारक के रूप में भी काम करती है।

जाति और सरकार का संगठन:

जैसा कि जाति भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं में एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य करती है, यह निर्णय लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां तक कि राज्य के पुनर्गठन के मुद्दे को भी एक विशेष क्षेत्र में एक जाति समूह के अनुचित प्रभुत्व की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए संभाला गया था। जाति कारक राज्य सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करता है। सत्तारूढ़ दल प्रमुख जाति समूहों का पक्ष लेने के लिए अपनी निर्णय लेने की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करता है। कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जाति के लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में पोषित करने की कोशिश की है। जाति समूहों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक



शक्ति जो उनके शासन का समर्थन या समर्थन कर सकते हैं। भारत का संविधान एकल एकीकृत मतदाता प्रदान करता है और जाति मुक्त राजनीति और प्रशासन की भावना की वकालत करता है। हालाँकि, जाति कारक हमेशा लोगों के मतदान व्यवहार, उनकी राजनीतिक भागीदारी, पार्टी संरचना और यहाँ तक कि सरकारी निर्णय लने के निर्धारक के रूप में कार्य करता है।

जाति कारक और स्थानीय सरकारें:

पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के अन्य संस्थानों के कामकाज में जाति की भूमिका को वास्तविकता माना गया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जाति-आधारित गुटबाजी पंचायती राज के संगठन और प्रभावी कार्यप्रणाली में सबसे बड़ी बाधा रही है। ग्रामीण भारतीय संदर्भ में, जाति संचार चैनल, प्रतिनिधित्व, और नेतृत्व और चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक प्रक्रिया के बीच एक कड़ी थी।

जातिगत हिंसा:

जाति आधारित हिंसा अक्सर राजनीति में अपना रास्ता तलाश लेती है। ऊंची और नीची जातियों के बीच पारंपरिक मतभेद प्रबल हो गए और समाज में सत्ता के लिए एक हिंसक और उग्र संघर्ष में बदल गए। ऊंची या यहां तक कि बिचौलियों द्वारा निचली जातियों का बढ़ता आतंक ग्रामीण भारत की राजनीतिक वास्तविकता का हिस्सा बनता जा रहा है। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और यूपी. जैसे राज्यों में कुछ शहरी इलाकों में भी जातीय हिंसा ने सिर उठाया है। हालाँकि, आज तक अधिकांश जाति-आधारित हिंसा ग्रामीण राजनीति की विशेषता बनी हुई है।

अन्य समुदायों द्वारा आरक्षण की मांग:

संविधान में किए गए आरक्षण के प्रावधान अनुत्पादक भी साबित हुए हैं क्योंकि गैर-अनुसूचित जातियों ने भी सरकार पर उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है।

सामाजिक और राजनीतिक तनाव:

अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए किए गए प्रावधानों ने भारतीय समाज में



सामाजिक समरसता को भी भंग किया है और अनेक सामाजिक और राजनीतिक तनाव पैदा किए हैं। समाज निम्न जाति और उच्च जाति में विभाजित हो गया है।

जाति और नागरिक प्रशासन:

नौकरशाही भी जाति से प्रभावित होती है, क्योंकि ज्यादातर लोक अधिकारियों की पोस्टिंग, स्थानांतरण और नियुक्तियां जाति के विचारों से प्रभावित होती हैं। इन दिनों प्रशासन चलाते समय जाति विशेष के हितों को ध्यान में रखा जाता है।

जाति और मंत्रिपरिषद का गठन:

मंत्रिपरिषद का गठन करते समय प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री को अपने राज्य में विभिन्न जातियों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देना होता है और ऐसा न करने की स्थिति में जाति विशेष के समर्थक प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री पर दबाव डालते हैं कि वे उन्हें दें। उनकी जाति का प्रतिनिधित्व

जाति और भारतीय संविधान:

जातिविहीन समाज के लिए अधिनियम और संवैधानिक प्रावधान

भारत में सबसे अच्छे संविधानों में से एक है, लेकिन इसे शायद ही कभी पूरी तरह से लागू किया जाता है। नीचे दिए गए प्रावधान महान भारतीयों द्वारा किए गए ईमानदार प्रयासों के परिणाम हैं।

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1976
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार की रोकथाम अधिनियम -1989

मौलिक अधिकार दृष्टि से पहला अधिकार समानता का अधिकार है:

- अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता।
- अनुच्छेद 15 – धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और रंग के आधार पर भेदभाव का निषेध।



- अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर।
- अनुच्छेद 17 दृ अस्पृश्यता का उन्मूलन।
- अनुच्छेद 18 – उपाधियों का उन्मूलन।

मौलिक कर्तव्य:

51,— (ई), भारत के सभी नागरिकों के बीच धर्म, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के बावजूद सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए हानिकारक प्रथाओं का त्याग करना।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

- अनुच्छेद 38 – न्याय – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक – द्वारा व्याप्त सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना।
- अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए।
- अनुच्छेद 330 – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण।
- अनुच्छेद 332 – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण। किए जाने वाले उपाय:

लोगों की मानसिकता बदले बिना जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता है। लोगों की अशिक्षा और अज्ञानता के कारण यह समस्या काफी हद तक बनी हुई है। इसलिए वे किसी भी सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते।

राजनीति में जाति की भूमिका को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने



की आवश्यकता है:

1. आरक्षण का आधार जातिगत नहीं आर्थिक होना चाहिए ताकि समाज के सभी गरीब वर्ग को इसका लाभ मिल सके।
2. मीडिया को तटस्थ भूमिका निभानी चाहिए।
3. जाति आधारित हिंसा को सुसंगठित प्रयासों से समाप्त किया जाना चाहिए।
4. जाति आधारित राजनीतिक दलों की मान्यता वापस ली जाए।
5. राजनेता को जाति की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए।
6. शिक्षा प्रणाली को धर्मनिरपेक्ष तर्ज पर फिर से तैयार किया जाना चाहिए।
7. सभी स्कूलों को सामुदायिक भोजन का आयोजन करके सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहित करना चाहिए और सभी छात्रों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
8. स्कूल की पाठ्यपुस्तकों को सावधानीपूर्वक संशोधित किया जाना चाहिए। अध्ययन सामग्री को छात्रों को यह सिखाना चाहिए कि जाति व्यवस्था मनुष्य द्वारा बनाई गई है।
9. अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देकर और अंतर्जातीय विवाह करने वाले लोगों के लिए विशेष प्रस्ताव देकर अगली पीढ़ी के लोगों में बदलाव ला सकते हैं।

निष्कर्ष

अंत में निष्कर्ष निकालते हुए, भारत में जाति और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जाति भारत में सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसने विभिन्न स्तरों पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपना विशेष स्थान बनाया है। जातिवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र और जातिवाद एक दूसरे के विरोधी हैं। भारत ने उदार लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है, जो मुख्य रूप से समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित है। जाति जन्म के आधार पर असमानता के लिए खड़ा है। जातिगत वफादारी अन्य जातीय कारक वास्तव में भारतीय राजनीतिक दलों को



विभाजित करते हैं, लेकिन वैचारिक मतभेदों को नहीं। चुनाव अभियान जाति के आधार पर चलाए जाते हैं और चुनावों में होने वाली हिंसा आमतौर पर जाति आधारित हिंसा होती है। राजनीति जाति-ग्रस्त हो गई है और जातियों का राजनीतिकरण हो गया है। जाति समूह राजनीति का उपयोग अपने लाभ को सुरक्षित करने के साधन के रूप में करते हैं। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया हाशिए के समुदायों से नए नेताओं को लाएगी। लोग विकास चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। राजनीतिक नेताओं को खुद को लोकतांत्रिक बनाना होगा और आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी होगी। अमेरिकी राजनीतिक विशेषज्ञ आई. रुडोल्फ और एस.एच. रुडोल्फ ने अपना पुस्तक "मॉडर्निटी ऑफ 9 ट्रेडिशन" में यह विचार रखा है कि भारत में जाति की राजनीति ने जाति के बीच विचलन को कम किया है और विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच राजनीतिक गैर-भेदभाव लाया है। हमारी शिक्षा प्रणाली को सभी नागरिकों के बीच समानता और भाईचारे के बंधन के मूल्यों को विकसित करना चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए यह आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक प्रथाओं और व्यवस्था का संचालन सभी समूहों, क्षेत्रों और समुदायों के लिए न्यायसंगत और समान हो।

संदर्भ

1. दत्ता, ए.आर. (संस्करण 2013)। भारत में राजनीतिरू मुद्दे, संस्थाएं, प्रक्रियाएं। अरुण प्रकाशन, पानबाजार, गुवाहाटी-1
2. एटिजयोनी, ए., (1965) पॉलिटिकल यूनिफिकेशनरू ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑफ लीडर्स एंड फोर्सेस, न्यूयॉर्करू होल्ट, राइनहार्ट और विंस्टन, इंक।
3. कोठारी, रजनी।, (1989) "राजनीति और लोगय एक मानवीय भारत की तलाश में, टवस.1] अजंता, नई दिल्ली।
4. कोठारी, रजनी, (1970) "पॉलिटिक्स इन इंडिया", बोस्टन, लिटिल ब्राउन
5. जौहरी, जे.सी., (1973) "कास्ट पॉलिटिकाइजेशन इन इंडिया" इंडियन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, 7 (2)



6. कोठारी, रजनी, (1970) "कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स" ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली।
7. जोन्स, डब्ल्यू.एच., (1967) "द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया", हचिंसन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क।
8. डोलफ, एल.आई., और रूडोल्फ, एस.एच. (1967)। परंपरा की आधुनिकता: भारत में राजनीतिक विकास। शिकागो: शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस।
9. जौहरी, जे.सी. (2000) "भारतीय राजनीतिक प्रणाली", अनमोल प्रकाशन, तीसरा संशोधित संस्करण, नई दिल्ली
10. हसन, जोया, (संपा.2002) "पार्टीज एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली
11. ब्रास, आर. पॉल, (1994) "द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस", कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस
12. कोठारी, रजनी।, (1961) "फॉर्म एंड सबस्टेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स", द इकोनॉमिक वीकली, जून, 3।

सार

जाति व्यवस्था भारत में सामाजिक और राजनीतिक संरचना का एक प्रमुख पहलू है। जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था की सबसे प्राचीन विशेषता है और यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं और कार्यों में एक प्रमुख कारक है। श्कास्टश शब्द की उत्पत्ति स्पेनिश शब्द 'कास्ट' से हुई है जिसका अर्थ नस्ल होता है। जाति विशेष में पैदा हुए लोगों की अपनी अलग जाति होती है। यह व्यक्ति के लिए सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को परिभाषित करता है। जाति भारत में सामाजिक स्तरीकरण का एक उल्लेखनीय आधार है। भारतीय राजनीति जाति आधारित राजनीति है। जाति राजनीतिक दलों, हित समूहों और सभी राजनीतिक संरचनाओं और उनके कार्यों की प्रकृति, संगठन और कार्यप्रणाली को



निर्धारित करती है। भारतीय समाज को जातियों, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर अत्यधिक खंडित किया गया है, यह अंततः संसदीय लोकतंत्र के सही कामकाज को रोकता है। इस पत्र का मूल उद्देश्य भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण करना है और यह कैसे एक प्रमुख कारण बन जाता है गंभीर चिंता और राष्ट्रीय एकता के लिए एक बाधा बन जाते हैं। यह पेपर इन चुनौतियों से निपटने के सुझाव के साथ समाप्त होता है।

कीवर्ड: जाति, सामाजिक स्तरीकरण

परिचय

भारतीय समाज में जाति एक सामाजिक समूह को संदर्भित करती है जिसमें संबद्धता काफी हद तक जन्म से निर्धारित होती है। यह जाति व्यवस्था हिंदू धर्म के उदय के साथ स्थिर और वंशानुगत हो गई। मनु (मनुस्मित्री) के नियम उच्च जातियों के प्रभुत्व और कुल दंडमुक्ति की पुष्टि करते हुए बहिष्कृतों की अशुद्धता और दासता का उल्लेख करते हैं।

सबसे निचली जाति के लोगों को सूचित किया जाता है कि जाति पदानुक्रम में उनका स्थान उनके पिछले जीवन में उनके पापों के कारण है। साक्षरता प्राप्त करने या एक प्रमुख जाति के सदस्य का अपमान करने जैसे अपराधों के लिए यातना और मौत की कड़ी सजा दी जाती है। मनुस्मित्री, हिंदू धर्म का सबसे विश्वसनीय पाठ सामाजिक बहिष्कार को वैध बनाता है और सामाजिक मामलों के मार्गदर्शक नियम के रूप में पूर्ण असमानता का परिचय देता है। आधुनिक दुनिया में भी जाति अभी भी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत मायने रखती है, हालांकि यह बताना होगा कि नागरिकों के विभिन्न समूहों के पास जाति व्यवस्था को बनाए रखने के अलग-अलग कारण हैं। उच्च जातियाँ निचली जातियों का दमन करने के लिए जाति को जीवित रखना चाहती हैं जिससे उनका वर्चस्व बना रहे। अक्सर यह देखने में आता है कि निम्न जाति समूह, जिन्हें जाति व्यवस्था से घृणा करने वाला माना जाता है, सत्ता और राजनीति के गलियारों में लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी जातिगत पहचान का भी उपयोग करते हैं और साथ ही, व इस पर रोक लगाना चाहते हैं। उच्च जातियों द्वारा उन पर थोपा गया जातिगत उत्पीड़न। यह आधुनिक भारत में भारतीय समाज की एक विडंबनापूर्ण और दिलचस्प स्थिति है।

वास्तव में, यह दिखाने का इरादा था कि चार वर्ग सामाजिक संगठन के संबंध में उसी तरह



के संबंध में थ, जैसे आदि मानव के विभिन्न अंग उसके शरीर के साथ थे। साथ में उन्हें राजनीतिक शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए कार्य करना था लेकिन जाति व्यवस्था जाति के नाम पर एक व्यक्ति के विकास को धीमा करने के स्तर तक बढ़ गई है और इस तरह एक व्यक्ति के रहने या बढ़ने के मालिक अधिकारों को प्रभावित करती है, जो कि है लोकतंत्र का सार। भारतीय राजनीति काफी हद तक सांस्कृतिक किस्मों, सामाजिक, जातीय, जाति, समुदाय और धार्मिक बहुलवाद से आकार लेती है, पार्टी नेतृत्व की विपरीत शैली और अद्वितीय विपरीत वैचारिक दृष्टिकोण के साथ देशव्यापी आंदोलन की ज्ञात परंपरा है। राजनीति के अधिकांश विद्वानों के लिए मायरोन वेनर भारत तथाकथित प्तीसरी दुनिया के सभी नए देशों में शायद सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लंबे और समग्र अतीत, इसकी विशाल आबादी और इसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, ऐसे देश के विशेष मूल्य की पहचान किसी अन्य देश के साथ अन्याय किए बिना ही की जा सकती है। प्रत्येक विकासशील राजनीतिक व्यवस्था में दो प्रकार की राजनीति की ओर इशारा किया जा सकता है, विचारधारा की राजनीति और कार्रवाई की राजनीति। दोनों के बीच पारस्परिक कार्रवाई का विश्लेषण ऐसी व्यवस्था में होने वाले राजनीतिक परिवर्तन के सार और दिशा के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने ला सकता है। वैदिक काल के दौरान, वर्ण की व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण की नींव बन गई और इस व्यवस्था के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे चार वर्ण थे, जहाँ प्रत्येक को एक विशिष्ट भूमिका सौंपी गई थी। हालाँकि, समय की प्रगति के साथ, जाति व्यवस्था बंदोबस्ती की स्थिति में आ गई, जो जन्म से हल हो गई और परिणामस्वरूप, यह आज हमारे भारतीय समाज में एक विभाजनकारी कारक बन गई है।

अध्ययन का उद्देश्य:

3. भारतीय राजनीति पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण करना।
4. जातिविहीन समाज के लिए संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करना।

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका:

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर विशेष रूप से नीचे चर्चा की जा सकती है:

राजनीतिक समाजीकरण और नेतृत्व भर्ती में जाति कारक:



विभिन्न जाति समूह राजनीतिक दलों और उनकी विचारधाराओं के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। अपने जन्म से ही एक भारतीय नागरिक को एक जाति विरासत में मिलती है और वह एक विशेष जाति समूह के सदस्य के रूप में बड़ा होता है। वह या तो उच्च जातियों में से एक है या अनुसूचित जाति का है। अपने राजनीतिक झुकाव, दृष्टिकोण और विश्वास को चुनने की प्रक्रिया में, वह स्वाभाविक रूप से जाति समूहों और जातिवाद के प्रभाव में आ जाता है। जातिगत मूल्य और जातिगत हित उनके समाजीकरण और फलस्वरूप उनकी राजनीतिक सोच, विवेक और भागीदारी को प्रभावित करते हैं। वह नेतृत्व की भर्ती की भूमिका निभाने और निभाने के लिए जातिगत एकजुटता पर दांव लगाता है। जाति प्रभाव नेतृत्व भर्ती प्रक्रिया। यह हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के जाति के प्रति जागरूक लोगों के लिए विशेष रूप से सच है। आंध्र प्रदेश में रेड्डी, कर्म और वालमास, राज्य के नेता प्रदान करते हैं।

जाति आधारित राजनीतिक दल:

जाति कारक भारतीय पार्टी प्रणाली का एक घटक है। भारत में, बहुत से जाति-आधारित राजनीतिक दल हैं जो किसी विशेष जाति के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल, विशेष रूप से, मुख्य रूप से जाति कारक से प्रभावित हैं। कडज़ और पकडज़ तमिलनाडु के गैर-ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण राजनीतिक दल हैं। पंजाब में अकाली दल की सामुदायिक पहचान है। यह जाट बनाम गैर जाट के मुद्दे से प्रभावित है। भारत में सभी राजनीतिक दल चुनाव में वोट हासिल करने के लिए जाति का उपयोग एक साधन के रूप में करते हैं। बसपा अनुसूचित जाति के समर्थन पर निर्भर है जबकि भाजपा बड़े पैमाने पर जाति हिंदू और व्यापारिक समुदाय के बीच अपनी लोकप्रियता पर निर्भर है।

जाति आधारित दबाव समूह:

भारत में बहुत सारे जाति आधारित दबाव समूह हैं जो विशेष जाति के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं और इस उद्देश्य के लिए वे सरकारों पर दबाव डालते रहते हैं जैसे अनुसूचित जाति संघ, आर्य समाज सभा, सनातन धर्म सभा आदि जैसे दबाव समूह हैं। दबाव समूह जो किसी समुदाय विशेष के हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं।



उम्मीदवारों की जाति और नामांकन:

जाति कारक भारत में चुनावी राजनीति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से अपने उम्मीदवारों का नामांकन करते समय राजनीतिक दल उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की जाति और मतदाताओं की जाति को ध्यान में रखते हैं। इससे प्रत्याशी को अपनी जाति के वोटों का वोट मिलना तय है। मुस्लिम बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवारों को तैनात किया जाता है और जाट बहुल क्षेत्रों में जाट उम्मीदवारों को तैनात किया जाता है। यहां तक कि कांग्रेस, जनता दल, सीपीआई और सीपीएम जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय जातिगत तथ्य को ध्यान में रखती हैं।

जाति और मतदान व्यवहार:

चुनाव प्रचार में जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। प्रतिबद्ध समर्थन के लिए जाति समूहों का दोहन किया जाता है एनडी पामर ने ठीक ही देखा है कि उम्मीदवारों के चयन में और चुनाव अभियानों के दौरान मतदाताओं से अपील में जाति के विचारों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। चुनावों में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। उम्मीदवारों ने जाति के नाम पर वोट मांगा और वे जाति आधारित नारा लगाते हैं जैसे प्जाट की बेटी जाट को, जाट का वोट जाट कोष। इस तरह के नारों का मतदाताओं पर प्रभाव पड़ता है और वे अपनी जाति के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं।

भारतीय राजनीति में विभाजनकारी और एकजुट शक्ति के रूप में जाति:

जाति भारतीय राजनीति में एक विभाजनकारी और एकजुट शक्ति के रूप में कार्य करती है यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कई हित समूहों के उद्भव के लिए एक आधार प्रदान करती है जिनमें से प्रत्येक सत्ता के लिए संघर्ष में अन्य सभी समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। कई बार यह सत्ता के लिए अस्वास्थ्यकर संघर्ष की ओर ले जाता है और विभाजनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है, हालांकि, यह समूहों के सदस्यों के बीच एकता का एक स्रोत है और एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है। ग्रामीण भारत में, जहां ग्रामीण शक्ति का सामाजिक ब्रह्मांड 15 से 20 किमी के क्षेत्र तक सीमित है, जाति एकीकृत शक्तियों के रूप में कार्य करती है। यह एकमात्र सामाजिक समूह है जिसे वे समझते हैं। जाति समूहों का अस्तित्व भी गुटबाजी की आरंभ ले जाता है। भारतीय राजनीति में जाति एक कारक है



और यह एकजुट होने के साथ-साथ विभाजनकारी कारक के रूप में भी काम करती है।

जाति और सरकार का संगठन:

जैसा कि जाति भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं में एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य करती है, यह निर्णय लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां तक कि राज्य के पुनर्गठन के मुद्दे को भी एक विशेष क्षेत्र में एक जाति समूह के अनुचित प्रभुत्व की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए संभाला गया था। जाति कारक राज्य सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करता है। सत्तारूढ़ दल प्रमुख जाति समूहों का पक्ष लेने के लिए अपनी निर्णय लेने की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करता है। कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जाति के लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में पोषित करने की कोशिश की है। जाति समूहों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति जो उनके शासन का समर्थन या समर्थन कर सकते हैं। भारत का संविधान एकल एकीकृत मतदाता प्रदान करता है और जाति मुक्त राजनीति और प्रशासन की भावना की वकालत करता है। हालाँकि, जाति कारक हमेशा लोगों क मतदान व्यवहार, उनकी राजनीतिक भागीदारी, पार्टी संरचना और यहाँ तक कि सरकारी निर्णय लेने के निर्धारक के रूप में कार्य करता है।

जाति कारक और स्थानीय सरकारें:

पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के अन्य संस्थानों के कामकाज में जाति की भूमिका को वास्तविकता माना गया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जाति-आधारित गुटबाजी पंचायती राज के संगठन और प्रभावी कार्यप्रणाली में सबसे बड़ी बाधा रही है। ग्रामीण भारतीय संदर्भ में, जाति संचार चैनल, प्रतिनिधित्व, और नेतृत्व और चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक प्रक्रिया के बीच एक कड़ी थी।

जातिगत हिंसा:

जाति आधारित हिंसा अक्सर राजनीति में अपना रास्ता तलाश लेती है। ऊंची और नीची जातियों के बीच पारंपरिक मतभेद प्रबल हो गए और समाज में सत्ता के लिए एक हिंसक और उग्र संघर्ष में बदल गए। ऊंची या यहां तक कि बिचौलियों द्वारा निचली जातियों का बढ़ता आतंक ग्रामीण भारत की राजनीतिक वास्तविकता का हिस्सा बनता जा रहा है।



महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और यूपी. जैसे राज्यों में कुछ शहरी इलाकों में भी जातीय हिंसा ने सिर उठाया है। हालाँकि, आज तक अधिकांश जाति-आधारित हिंसा ग्रामीण राजनीति की विशेषता बनी हुई है।

अन्य समुदायों द्वारा आरक्षण की मांग:

संविधान में किए गए आरक्षण के प्रावधान अनुत्पादक भी साबित हुए हैं क्योंकि गैर-अनुसूचित जातियों ने भी सरकार पर उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है।

सामाजिक और राजनीतिक तनाव:

अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए किए गए प्रावधानों ने भारतीय समाज में सामाजिक समरसता को भी भंग किया है और अनेक सामाजिक और राजनीतिक तनाव पैदा किए हैं। समाज निम्न जाति और उच्च जाति में विभाजित हो गया है।

जाति और नागरिक प्रशासन:

नौकरशाही भी जाति से प्रभावित होती है, क्योंकि ज्यादातर लोक अधिकारियों की पोस्टिंग, स्थानांतरण और नियुक्तियां जाति के विचारों से प्रभावित होती हैं। इन दिनों प्रशासन चलाते समय जाति विशेष के हितों को ध्यान में रखा जाता है।

जाति और मंत्रिपरिषद का गठन:

मंत्रिपरिषद का गठन करते समय प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री को अपने राज्य में विभिन्न जातियों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देना होता है और ऐसा न करने की स्थिति में जाति विशेष के समर्थक प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री पर दबाव डालते हैं कि वे उन्हें दें। उनकी जाति का प्रतिनिधित्व

जाति और भारतीय संविधान:

जातिविहीन समाज के लिए अधिनियम और संवैधानिक प्रावधान

भारत में सबसे अच्छे संविधानों में से एक है, लेकिन इसे शायद ही कभी पूरी तरह से लागू



किया जाता है। नीचे दिए गए प्रावधान महान भारतीयों द्वारा किए गए ईमानदार प्रयासों के परिणाम हैं।

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1976
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार की रोकथाम अधिनियम -1989

मौलिक अधिकार दृष्टि पहला अधिकार समानता का अधिकार है:

- अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता।
- अनुच्छेद 15 – धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और रंग के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर।
- अनुच्छेद 17 दृष्टि अस्पृश्यता का उन्मूलन।
- अनुच्छेद 18 – उपाधियों का उन्मूलन।

मौलिक कर्तव्य:

51,- (ई), भारत के सभी नागरिकों के बीच धर्म, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के बावजूद सदभाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए हानिकारक प्रथाओं का त्याग करना।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

- अनुच्छेद 38 – न्याय – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक – द्वारा व्याप्त सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना।
- अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर



वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए।

- अनुच्छेद 330 – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण।
- अनुच्छेद 332 – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण। किए जाने वाले उपाय:

लोगों की मानसिकता बदले बिना जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता है। लोगों की अशिक्षा और अज्ञानता के कारण यह समस्या काफी हद तक बनी हुई है। इसलिए वे किसी भी सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते।

राजनीति में जाति की भूमिका को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

10. आरक्षण का आधार जातिगत नहीं आर्थिक होना चाहिए ताकि समाज के सभी गरीब वर्ग को इसका लाभ मिल सके।
11. मीडिया को तटस्थ भूमिका निभानी चाहिए।
12. जाति आधारित हिंसा को सुसंगठित प्रयासों से समाप्त किया जाना चाहिए।
13. जाति आधारित राजनीतिक दलों की मान्यता वापस ली जाए।
14. राजनेता को जाति की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए।
15. शिक्षा प्रणाली को धर्मनिरपेक्ष तर्ज पर फिर से तैयार किया जाना चाहिए।
16. सभी स्कूलों को सामुदायिक भोजन का आयोजन करके सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहित करना चाहिए और सभी छात्रा को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
17. स्कूल की पाठ्यपुस्तकों को सावधानीपूर्वक संशोधित किया जाना चाहिए। अध्ययन सामग्री को छात्रों को यह सिखाना चाहिए कि जाति व्यवस्था मनुष्य द्वारा बनाई गई



है।

18. अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देकर और अंतर्जातीय विवाह करने वाले लोगों के लिए विशेष प्रस्ताव देकर अगली पीढ़ी के लोगों में बदलाव ला सकते हैं।

निष्कर्ष

अंत में निष्कर्ष निकालते हुए, भारत में जाति और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जाति भारत में सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसने विभिन्न स्तरों पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपना विशेष स्थान बनाया है। जातिवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र और जातिवाद एक दूसरे के विरोधी हैं। भारत ने उदार लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है, जो मुख्य रूप से समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित है। जाति जन्म के आधार पर असमानता के लिए खड़ा है। जातिगत वफादारी अन्य जातीय कारक वास्तव में भारतीय राजनीतिक दलों को विभाजित करते हैं, लेकिन वैचारिक मतभेदों को नहीं। चुनाव अभियान जाति के आधार पर चलाए जाते हैं और चुनावों में होने वाली हिंसा आमतौर पर जाति आधारित हिंसा होती है। राजनीति जाति-ग्रस्त हो गई है और जातियों का राजनीतिकरण हो गया है। जाति समूह राजनीति का उपयोग अपने लाभ को सुरक्षित करने के साधन के रूप में करते हैं। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया हाशिए के समुदायों से नए नेताओं को लाएगी। लोग विकास चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। राजनीतिक नेताओं को खुद को लोकतांत्रिक बनाना होगा और आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी होगी। अमेरिकी राजनीतिक विशेषज्ञ आई. रुडोल्फ और एस.एच. रुडोल्फ ने अपनी पुस्तक "मॉडर्निटी ऑफ 9 ट्रेडिशन" में यह विचार रखा है कि भारत में जाति की राजनीति ने जाति के बीच विचलन को कम किया है और विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच राजनीतिक गैर-भेदभाव लाया है। हमारी शिक्षा प्रणाली को सभी नागरिकों के बीच समानता और भाईचारे के बंधन के मूल्यों को विकसित करना चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए यह आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक प्रथाओं और व्यवस्था का संचालन सभी समूहों, क्षेत्रों और समुदायों के लिए न्यायसंगत और समान हो।

संदर्भ



13. दत्ता, ए.आर. (संस्करण 2013)। भारत में राजनीतिरू मुद्दे, संस्थाएं, प्रक्रियाएं। अरुण प्रकाशन, पानबाजार, गुवाहाटी-1
14. एट्टिजयोनी, ए., (1965) पॉलिटिकल यूनिफिकेशनरू ए कम्परेटिव स्टडी ऑफ लीडर्स एंड फोर्सस, न्यूयॉर्करू होल्ट, राइनहार्ट और विंस्टन, इंक।
15. कोठारी, रजनी।, (1989) "राजनीति और लोगय एक मानवीय भारत की तलाश में, टवस.1] अजंता, नई दिल्ली।
16. कोठारी, रजनी, (1970) "पॉलिटिक्स इन इंडिया", बोस्टन, लिटिल ब्राउन
17. जौहरी, जे.सी., (1973) "कास्ट पॉलिटिकाइजेशन इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, 7 (2)
18. कोठारी, रजनी, (1970) "कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स" ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली।
19. जोन्स, डब्ल्यू.एच., (1967) "द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया", हचिंसन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क।
20. डोलफ, एल.आई., और रूडोल्फ, एस.एच. (1967)। परंपरा की आधुनिकता: भारत में राजनीतिक विकास। शिकागो: शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस।
21. जौहरी, जे.सी. (2000) "भारतीय राजनीतिक प्रणाली", अनमोल प्रकाशन, तीसरा संशोधित संस्करण, नई दिल्ली
22. हसन, जोया, (संपा.2002) "पार्टीज एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली
23. ब्रास, आर. पॉल, (1994) "द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस", कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस



24. कोठारी, रजनी |, (1961) "फॉर्म एंड सबस्टेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स", द इकोनॉमिक वीकली, जून, 3।

सार

जाति व्यवस्था भारत में सामाजिक और राजनीतिक संरचना का एक प्रमुख पहलू है। जाति भारतीय सामाजिक व्यवस्था की सबसे प्राचीन विशेषता है और यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं और कार्यों में एक प्रमुख कारक है। श्कास्ट्र शब्द की उत्पत्ति स्पेनिश शब्द 'कास्ट' से हुई है जिसका अर्थ नस्ल होता है। जाति विशेष में पैदा हुए लोगों की अपनी अलग जाति होती है। यह व्यक्ति के लिए सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को परिभाषित करता है। जाति भारत में सामाजिक स्तरीकरण का एक उल्लेखनीय आधार है। भारतीय राजनीति जाति आधारित राजनीति है। जाति राजनीतिक दलों, हित समूहों और सभी राजनीतिक संरचनाओं और उनके कार्यों की प्रकृति, संगठन और कार्यप्रणाली को निर्धारित करती है। भारतीय समाज को जातियों, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर अत्यधिक खंडित किया गया है, यह अंततः संसदीय लोकतंत्र के सही कामकाज को रोकता है। इस पत्र का मूल उद्देश्य भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विश्लेषण करना है और यह कैसे एक प्रमुख कारण बन जाता है गंभीर चिंता और राष्ट्रीय एकता के लिए एक बाधा बन जाते हैं। यह पेपर इन चुनौतियों से निपटने के सुझाव के साथ समाप्त होता है।

कीवर्ड: जाति, सामाजिक स्तरीकरण

परिचय

भारतीय समाज में जाति एक सामाजिक समूह को संदर्भित करती है जिसमें संबद्धता काफी हद तक जन्म से निर्धारित होती है। यह जाति व्यवस्था हिंदू धर्म के उदय के साथ स्थिर और वंशानुगत हो गई। मनु (मनुस्मित्री) के नियम उच्च जातियों के प्रभुत्व और कुल दंडमुक्ति की पुष्टि करते हुए बहिष्कृतों की अशुद्धता और दासता का उल्लेख करते हैं।

सबसे निचली जाति के लोगों को सूचित किया जाता है कि जाति पदानुक्रम में उनका स्थान उनके पिछले जीवन में उनके पापों के कारण है। साक्षरता प्राप्त करने या एक प्रमुख जाति के सदस्य का अपमान करने जैसे अपराधों के लिए यातना और मौत की कड़ी सजा दी जाती है। मनुस्मित्री, हिंदू धर्म का सबसे विश्वसनीय पाठ सामाजिक बहिष्कार को वैध बनाता है



और सामाजिक मामलों के मार्गदर्शक नियम के रूप में पूर्ण असमानता का परिचय देता है। आधुनिक दुनिया में भी जाति अभी भी भारतीय नागरिकों के लिए बहुत मायने रखती है, हालांकि यह बताना होगा कि नागरिकों के विभिन्न समूहों के पास जाति व्यवस्था को बनाए रखने के अलग-अलग कारण हैं। उच्च जातियाँ निचली जातियों का दमन करने के लिए जाति को जीवित रखना चाहती हैं जिससे उनका वर्चस्व बना रहे। अक्सर यह देखने में आता है कि निम्न जाति समूह, जिन्हें जाति व्यवस्था से घृणा करने वाला माना जाता है, सत्ता और राजनीति के गलियारों में लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी जातिगत पहचान का भी उपयोग करते हैं और साथ ही, वे इस पर रोक लगाना चाहते हैं। उच्च जातियों द्वारा उन पर थोपा गया जातिगत उत्पीड़न। यह आधुनिक भारत में भारतीय समाज की एक विडंबनापूर्ण और दिलचस्प स्थिति है।

वास्तव में, यह दिखाने का इरादा था कि चार वर्ग सामाजिक संगठन के संबंध में उसी तरह के संबंध में थे, जैसे आदि मानव के विभिन्न अंग उसके शरीर के साथ थे। साथ में उन्हें राजनीतिक शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए कार्य करना था लेकिन जाति व्यवस्था जाति के नाम पर एक व्यक्ति के विकास को धीमा करने के स्तर तक बढ़ गई है और इस तरह एक व्यक्ति के रहने या बढ़ने के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है, जो कि है लोकतंत्र का सार। भारतीय राजनीति काफी हद तक सांस्कृतिक किस्मों, सामाजिक, जातीय, जाति, समुदाय और धार्मिक बहुलवाद से आकार लेती है, पार्टी नेतृत्व की विपरीत शैली और अद्वितीय विपरीत वैचारिक दृष्टिकोण के साथ देशव्यापी आंदोलन की ज्ञात परंपरा है। राजनीति के अधिकांश विद्वानों के लिए मायरोन वेनर भारत तथाकथित प्सीसरी दुनिया के सभी नए देशों में शायद सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लंबे और समग्र अतीत, इसकी विशाल आबादी और इसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए, ऐसे देश के विशेष मूल्य की पहचान किसी अन्य देश के साथ अन्याय किए बिना ही की जा सकती है। प्रत्येक विकासशील राजनीतिक व्यवस्था में दो प्रकार की राजनीति की ओर इशारा किया जा सकता है, विचारधारा की राजनीति और कार्रवाई की राजनीति। दोनों के बीच पारस्परिक कार्रवाई का विश्लेषण ऐसी व्यवस्था में होने वाले राजनीतिक परिवर्तन के सार और दिशा के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने ला सकता है। वैदिक काल के दौरान, वर्ण की व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण की नींव बन गई और इस व्यवस्था के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे चार वर्ण थे, जहाँ प्रत्येक को एक विशिष्ट भूमिका सौंपी गई थी। हालाँकि, समय की प्रगति के साथ, जाति व्यवस्था बंदोबस्ती की स्थिति में आ गई, जो जन्म से हल हो



गई और परिणामस्वरूप, यह आज हमारे भारतीय समाज में एक विभाजनकारी कारक बन गई है।

अध्ययन का उद्देश्य:

5. भारतीय राजनीति पर पड़े प्रभाव का विश्लेषण करना।
6. जातिविहीन समाज के लिए संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करना।

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका:

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर विशेष रूप से नीचे चर्चा की जा सकती है:

राजनीतिक समाजीकरण और नेतृत्व भर्ती में जाति कारक:

विभिन्न जाति समूह राजनीतिक दलों और उनकी विचारधाराओं के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं। अपने जन्म से ही एक भारतीय नागरिक को एक जाति विरासत में मिलती है और वह एक विशेष जाति समूह के सदस्य के रूप में बड़ा होता है। वह या तो उच्च जातियों में से एक है या अनुसूचित जाति का है। अपने राजनीतिक झुकाव, दृष्टिकोण और विश्वास को चुनने की प्रक्रिया में, वह स्वाभाविक रूप से जाति समूहों और जातिवाद के प्रभाव में आ जाता है। जातिगत मूल्य और जातिगत हित उनके समाजीकरण और फलस्वरूप उनकी राजनीतिक साच, विवेक और भागीदारी को प्रभावित करते हैं। वह नेतृत्व की भर्ती की भूमिका निभाने और निभाने के लिए जातिगत एकजुटता पर दांव लगाता है। जाति प्रभाव नेतृत्व भर्ती प्रक्रिया। यह हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के जाति के प्रति जागरूक लोगों के लिए विशेष रूप से सच है। आंध्र प्रदेश में रेड्डी, कर्म और वालमास, राज्य के नेता प्रदान करते हैं।

जाति आधारित राजनीतिक दल:

जाति कारक भारतीय पार्टी प्रणाली का एक घटक है। भारत में, बहुत से जाति-आधारित राजनीतिक दल हैं जो किसी विशेष जाति के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दल, विशेष रूप से, मुख्य रूप से जाति कारक से प्रभावित हैं। कडज़ और पकडज़ तमिलनाडु के गैर-ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण राजनीतिक दल



हैं। पंजाब में अकाली दल की सामुदायिक पहचान है। यह जाट बनाम गैर जाट के मुद्दे से प्रभावित है। भारत में सभी राजनीतिक दल चुनाव में वोट हासिल करने के लिए जाति का उपयोग एक साधन के रूप में करते हैं। बसपा अनुसूचित जाति के समर्थन पर निर्भर है जबकि भाजपा बड़े पैमाने पर जाति हिंदू और व्यापारिक समुदाय के बीच अपनी लोकप्रियता पर निर्भर है।

जाति आधारित दबाव समूह:

भारत में बहुत सारे जाति आधारित दबाव समूह हैं जो विशेष जाति के हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का प्रयास करते हैं और इस उद्देश्य के लिए वे सरकारों पर दबाव डालते रहते हैं जैसे अनुसूचित जाति संघ, आर्य समाज सभा, सनातन धर्म सभा आदि जैसे दबाव समूह हैं। दबाव समूह जो किसी समुदाय विशेष के हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं।

उम्मीदवारों की जाति और नामांकन:

जाति कारक भारत में चुनावी राजनीति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से अपने उम्मीदवारों का नामांकन करते समय राजनीतिक दल उस विशेष निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की जाति और मतदाताओं की जाति को ध्यान में रखते हैं। इससे प्रत्याशी को अपनी जाति के वोटों का वोट मिलना तय है। मुस्लिम बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवारों को तैनात किया जाता है और जाट बहुल क्षेत्रों में जाट उम्मीदवारों को तैनात किया जाता है। यहां तक कि कांग्रेस, जनता दल, सीपीआई और सीपीएम जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय जातिगत तथ्य को ध्यान में रखती हैं।

जाति और मतदान व्यवहार:

चुनाव प्रचार में जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। प्रतिबद्ध समर्थन के लिए जाति समूहों का दोहन किया जाता है एनडी पामर ने ठीक ही देखा है कि उम्मीदवारों के चयन में और चुनाव अभियानों के दौरान मतदाताओं से अपील में जाति के विचारों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। चुनावों में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। उम्मीदवारों ने जाति के नाम पर वोट मांगा और वे जाति आधारित नारा लगाते हैं जैसे प्जाट की बेटा जाट को, जाट का वोट जाट को। इस तरह के नारों का मतदाताओं पर प्रभाव पड़ता है और वे अपनी



जाति के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करते हैं।

भारतीय राजनीति में विभाजनकारी और एकजुट शक्ति के रूप में जाति:

जाति भारतीय राजनीति में एक विभाजनकारी और एकजुट शक्ति के रूप में कार्य करती है यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कई हित समूहों के उद्भव के लिए एक आधार प्रदान करता है जिनमें से प्रत्येक सत्ता के लिए संघर्ष में अन्य सभी समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। कई बार यह सत्ता के लिए अस्वास्थ्यकर संघर्ष की ओर ले जाता है और विभाजनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है, हालांकि, यह समूहों के सदस्यों के बीच एकता का एक स्रोत है और एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता है। ग्रामीण भारत में, जहां ग्रामीण शक्ति का सामाजिक ब्रह्मांड 15 से 20 किमी के क्षेत्र तक सीमित है, जाति एकीकृत शक्तियों के रूप में कार्य करती है। यह एकमात्र सामाजिक समूह है जिसे वे समझते हैं। जाति समूहों का अस्तित्व भी गुटबाजी की ओर ले जाता है। भारतीय राजनीति में जाति एक कारक है और यह एकजुट होने के साथ-साथ विभाजनकारी कारक के रूप में भी काम करती है।

जाति और सरकार का संगठन:

जैसा कि जाति भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं में एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य करती है, यह निर्णय लेने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहां तक कि राज्य के पुनर्गठन के मुद्दे को भी एक विशेष क्षेत्र में एक जाति समूह के अनुचित प्रभुत्व की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए संभाला गया था। जाति कारक राज्य सरकार को नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करता है। सत्तारूढ़ दल प्रमुख जाति समूहों का पक्ष लेने के लिए अपनी निर्णय लेने की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश करता है। कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जाति के लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में पोषित करने की कोशिश की है। जाति समूहों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति जो उनके शासन का समर्थन या समर्थन कर सकते हैं। भारत का संविधान एकल एकीकृत मतदाता प्रदान करता है और जाति मुक्त राजनीति और प्रशासन की भावना की वकालत करता है। हालांकि, जाति कारक हमेशा लोगों के मतदान व्यवहार, उनकी राजनीतिक भागीदारी, पार्टी संरचना और यहाँ तक कि सरकारी निर्णय लेने के निर्धारक के रूप में कार्य करता है।



जाति कारक और स्थानीय सरकारें:

पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के अन्य संस्थानों के कामकाज में जाति की भूमिका को वास्तविकता माना गया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जाति-आधारित गुटबाजी पंचायती राज के संगठन और प्रभावी कार्यप्रणाली में सबसे बड़ी बाधा रही है। ग्रामीण भारतीय संदर्भ में, जाति संचार चौनल, प्रतिनिधित्व, और नेतृत्व और चुनावी प्रक्रिया और राजनीतिक प्रक्रिया के बीच एक कड़ी थी।

जातिगत हिंसा:

जाति आधारित हिंसा अक्सर राजनीति में अपना रास्ता तलाश लेती है। ऊंची और नीची जातियों के बीच पारंपरिक मतभेद प्रबल हो गए और समाज में सत्ता के लिए एक हिंसक और उग्र संघर्ष में बदल गए। ऊंची या यहां तक कि बिचौलियों द्वारा निचली जातियों का बढ़ता आतंक ग्रामीण भारत की राजनीतिक वास्तविकता का हिस्सा बनता जा रहा है। महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और यूपी. जैसे राज्यों में कुछ शहरी इलाकों में भी जातीय हिंसा ने सिर उठाया है। हालाँकि, आज तक अधिकांश जाति-आधारित हिंसा ग्रामीण राजनीति की विशेषता बनी हुई है।

अन्य समुदायों द्वारा आरक्षण की मांग:

संविधान में किए गए आरक्षण के प्रावधान अनुत्पादक भी साबित हुए हैं क्योंकि गैर-अनुसूचित जातियों ने भी सरकार पर उनके लिए आरक्षण का प्रावधान करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है।

सामाजिक और राजनीतिक तनाव:

अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए किए गए प्रावधानों ने भारतीय समाज में सामाजिक समरसता को भी भंग किया है और अनेक सामाजिक और राजनीतिक तनाव पैदा किए हैं। समाज निम्न जाति और उच्च जाति में विभाजित हो गया है।

जाति और नागरिक प्रशासन:

नौकरशाही भी जाति से प्रभावित होती है, क्योंकि ज्यादातर लोक अधिकारियों की पोस्टिंग,



स्थानांतरण और नियुक्तियां जाति के विचारों से प्रभावित होती हैं। इन दिनों प्रशासन चलाते समय जाति विशेष के हितों को ध्यान में रखा जाता है।

जाति और मंत्रिपरिषद का गठन:

मंत्रिपरिषद का गठन करते समय प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री को अपने राज्य में विभिन्न जातियों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देना होता है और ऐसा न करने की स्थिति में जाति विशेष के समर्थक प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री पर दबाव डालते हैं कि वे उन्हें दें। उनकी जाति का प्रतिनिधित्व

जाति और भारतीय संविधान:

जातिविहीन समाज के लिए अधिनियम और संवैधानिक प्रावधान

भारत में सबसे अच्छे संविधानों में से एक है, लेकिन इसे शायद ही कभी पूरी तरह से लागू किया जाता है। नीचे दिए गए प्रावधान महान भारतीयों द्वारा किए गए ईमानदार प्रयासों के परिणाम हैं।

- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1976
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार की रोकथाम अधिनियम -1989

मौलिक अधिकार दृष्टि पहला अधिकार समानता का अधिकार है:

- अनुच्छेद 14 – कानून के समक्ष समानता।
- अनुच्छेद 15 – धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और रंग के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर।
- अनुच्छेद 17 दृष्टि अस्पृश्यता का उन्मूलन।
- अनुच्छेद 18 – उपाधियों का उन्मूलन।



मौलिक कर्तव्य:

51,— (ई), भारत के सभी नागरिकों के बीच धर्म, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं के बावजूद सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए हानिकारक प्रथाओं का त्याग करना।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

- अनुच्छेद 38 – न्याय – सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक – द्वारा व्याप्त सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना।
- अनुच्छेद 46 – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के लिए।
- अनुच्छेद 330 – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण।
- अनुच्छेद 332 – अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण। किए जाने वाले उपाय:

लोगों की मानसिकता बदले बिना जाति व्यवस्था को खत्म नहीं किया जा सकता है। लोगों की अशिक्षा और अज्ञानता के कारण यह समस्या काफी हद तक बनी हुई है। इसलिए वे किसी भी सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते।

राजनीति में जाति की भूमिका को बेअसर करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:

19. आरक्षण का आधार जातिगत नहीं आर्थिक होना चाहिए ताकि समाज के सभी गरीब वर्ग को इसका लाभ मिल सके।
20. मीडिया को तटस्थ भूमिका निभानी चाहिए।



21. जाति आधारित हिंसा को सुसंगठित प्रयासों से समाप्त किया जाना चाहिए।
22. जाति आधारित राजनीतिक दलों की मान्यता वापस ली जाए।
23. राजनेता को जाति की राजनीति से ऊपर उठना चाहिए।
24. शिक्षा प्रणाली को धर्मनिरपेक्ष तर्ज पर फिर से तैयार किया जाना चाहिए।
25. सभी स्कूलों को सामुदायिक भोजन का आयोजन करके सामुदायिक जीवन को प्रोत्साहित करना चाहिए और सभी छात्रों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
26. स्कूल की पाठ्यपुस्तकों को सावधानीपूर्वक संशोधित किया जाना चाहिए। अध्ययन सामग्री को छात्रों को यह सिखाना चाहिए कि जाति व्यवस्था मनुष्य द्वारा बनाई गई है।
27. अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देकर और अंतर्जातीय विवाह करने वाले लोगों के लिए विशेष प्रस्ताव देकर अगली पीढ़ी के लोगों में बदलाव ला सकते हैं।

निष्कर्ष

अंत में निष्कर्ष निकालते हुए, भारत में जाति और राजनीति के बीच घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जाति भारत में सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसने विभिन्न स्तरों पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अपना विशेष स्थान बनाया है। जातिवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र और जातिवाद एक दूसरे के विरोधी हैं। भारत ने उदार लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया है, जो मुख्य रूप से समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित है। जाति जन्म के आधार पर असमानता के लिए खड़ा है। जातिगत वफादारी अन्य जातीय कारक वास्तव में भारतीय राजनीतिक दलों को विभाजित करते हैं, लेकिन वैचारिक मतभेदों को नहीं। चुनाव अभियान जाति के आधार पर चलाए जाते हैं और चुनावों में होने वाली हिंसा आमतौर पर जाति आधारित हिंसा होती है। राजनीति जाति-ग्रस्त हो गई है और जातियों का राजनीतिकरण हो गया है। जाति समूह राजनीति का उपयोग अपने लाभ को सुरक्षित करने के साधन के रूप में करते हैं। लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया हाशिए के समुदायों से नए नेताओं को लाएगी। लोग विकास चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए। राजनीतिक नेताओं को खुद को



लोकतांत्रिक बनाना होगा और आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करनी होगी। अमेरिकी राजनीतिक विशेषज्ञ आई. रुडोल्फ और एस.एच. रुडोल्फ ने अपनी पुस्तक "मॉडर्निटी ऑफ 9 ट्रेडिशन" में यह विचार रखा है कि भारत में जाति की राजनीति ने जाति के बीच विचलन को कम किया है और विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच राजनीतिक गैर-भेदभाव लाया है। हमारी शिक्षा प्रणाली को सभी नागरिकों के बीच समानता और भाईचारे के बंधन के मूल्यों को विकसित करना चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए यह आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनीतिक प्रथाओं और व्यवस्था का संचालन सभी समूहों, क्षेत्रों और समुदायों के लिए न्यायसंगत और समान हो।

संदर्भ

25. दत्ता, ए.आर. (संस्करण 2013)। भारत में राजनीतिरु मुद्दे, संस्थाएं, प्रक्रियाएं। अरुण प्रकाशन, पानबाजार, गुवाहाटी-1
26. एटिजयोनी, ए., (1965) पॉलिटिकल यूनिफिकेशनरु ए कम्परेटिव स्टडी ऑफ लीडर्स एंड फोर्सस, न्यूयॉर्करु होल्ट, राइनहार्ट और विंस्टन, इंक।
27. कोठारी, रजनी।, (1989) "राजनीति और लोगय एक मानवीय भारत की तलाश में, टवस.1] अजंता, नई दिल्ली।
28. कोठारी, रजनी, (1970) "पॉलिटिक्स इन इंडिया", बोस्टन, लिटिल ब्राउन
29. जौहरी, जे.सी., (1973) "कास्ट पॉलिटिकाइजेशन इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, 7 (2)
30. कोठारी, रजनी, (1970) "कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स" ओरिएंट लॉन्गमैन, नई दिल्ली।
31. जोन्स, डब्ल्यू.एच., (1967) "द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया", हचिंसन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क।
32. डोल्फ, एल.आई., और रुडोल्फ, एस.एच. (1967)। परंपरा की आधुनिकता: भारत में



राजनीतिक विकास। शिकागो: शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस।

33. जौहरी, जे.सी. (2000) "भारतीय राजनीतिक प्रणाली", अनमोल प्रकाशन, तीसरा संशोधित संस्करण, नई दिल्ली
34. हसन, जोया, (संपा.2002) "पार्टीज एंड पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया", ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली
35. ब्रास, आर. पॉल, (1994) "द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस", कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस
36. कोठारी, रजनी।, (1961) "फॉर्म एंड सब्सटेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स", द इकोनॉमिक वीकली, जून, 3।